न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु॰ नं॰ 126/16 तारीख रजू 8-11-16

उनवान - रामदास बनाम तहसीलदार जैसनी

दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया दस्तावेजात का अवलोकन किया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब कर दिनांक 7.12.16 को पेश हो। 3481-82 8-11-16

उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

7-12-16 वादी वकील उप0/ प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार उप0/ वास्ते जबाब दिनांक 16.1.17 को पेश हो।

16-1-17 वादी वकील उप0/ सरकार पैरोकार की ओर से जबाब प्राप्त हो चुका है। वादी वकील को नकल दिलायी गयी। मिसल शामिल की गयी। वास्ते बहस दिनांक 27.2.17 को पेश हो।

27-2-17 वादी वकील उपस्थित / गवाहजात दिनांक 28-3-17 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोड

दिनांक	फर्द अहकाम
रामदास	23.3.17 वकुलाय व वादी उप./ तनकीयात स्थगट की गई। चूंकि वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 18.4.17 को पेश हो।
18.4.17	वकुलाय उप./ वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 17.5.17 को पेश हो।
17.5.17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प मांचड़ी में दि॰ 13.6.17 को पेश हो।
13.6.17 रामदास	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प माँचड़ी में पेश हुई। वादी रामदास उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। वादी की ओर से प्रस्तुत दावा बाबत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से प्रस्तुत किया है कि ग्राम झैसनी की भूमि ख.न. 1290 रकबा 20.52 है किस्म चरागाह दर्ज है जिसके साबिक ख.नं 612 रकबा 39 बीघा 10 बिस्वा में से वादी के पिता को ख.न 612/4 रकबा 5 बीघा बारानी आंवटित की गयी थी। आंवटन के आधार पर नामा.सं. 169 दिनांक 24.10-1995 को तस्दीक हो गया। जमाबन्दी सं॰ 2029-32 में नोट भी अंकित कर दिया। वादी उक्त भूमि पर काबिज एवं दखील है। वादी का पिता फौत होने के उपरान्त वादी काबिज एवं दखील है किन्तु कर्मचारियों की भूल से जमाबन्दी सं॰ 2029-32 में भूगा. नोट हजफ कर उक्त आराजी ख.न. 612/4 को वापिस चरागाह दर्ज कर दिया। उक्त आराजी पर वादी काबिज एवं दखील

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

है। अत वादीगण का दावा डिक्री कर खातेदारी दर्ज कराकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में दखल नहीं करे।
प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब दावा प्रस्तुत किया कि आराजी ख. नं. 612/4 रकबा 5 बीघा भूमि पर आंवटी का कब्जा नही होने, आवंटन की शर्तों की पालना नही करने पर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 के नियम (कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम 1970) के नियम 14(4) के अन्तर्गत निरस्त हो चुका है ग्राम औसनी की जमाबन्दी सं० 2033-36 के खाता सं० 169 पर आवंटन निरस्त होने का नोट अंकित है भूमि की चरागाह दर्ज है। वादी का दावा खारिज किया जावे।

वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया मुताबिक रिकार्ड यह भूमि आवंटन नियमो के अन्तर्गत शर्तों के उल्लंघन कब्जा के अभाव में आवंटन निरस्त होकर भूमि ख. नं. 612/4 वापिस चरागाह दर्ज किया जाना रिकार्ड से प्रमाणित है इसलिए प्रकरण में तनकीवार तथा साक्ष्य रूप से निस्तारण करने के लिए आगे पत्रावली रखना उचित नही समझता हूँ। यह प्रकरण निरस्तगी आदेश की अपील की श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

अतः यह दावा वादी का इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.6.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय कैम्प मांचड़ी में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)

Scanned by CamScanner